बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

संख्या–FC-186

प्रेषक,

ए०के०पाण्डेय, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री प्रेम आनंद,
पिता–शिव नन्दन प्रसाद,
एट+पो.–तमौरिया, थाना–लकहिनोर,
जिला–मधुबनी, पिन–847410

पटना 14, दिनांक– 26/02/2019

विषय– श्री प्रेम आनन्द द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत खाता संख्या–08, 106(न्यू), खेसरा / सर्वे संख्या–3739, 3740 (न्यू), NH-57 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.0342 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/35039/2018/2939, दिनांक 19.02.2019 (छायाप्रति संलग्न),

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/35039/2018/2939, दिनांक 19.02.2019 द्वारा विषयक प्रस्ताव पर कुल 11 अधिरोपित शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्रदान की गयी है।

2. अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल– 0.0342 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि 6.26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 21,410/– (एकईस हजार चार सौ दस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

3. हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 50 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू. 257/प्रति मा.दि.) के आधार पर रू. 5,17,112.00 की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण एवं वन विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि रू. 21,410.00 (+) रू. 5,17,112.00 अर्थात कुल रू. 5,38,522.00 (पाँच लाख अड़तीस हजार पाँच सौ बाईस रूपये) मात्र को विभागीय वेवसाईट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तानांतरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत इसकी सूचना प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 01 से 11 तक अधिरोपित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को 15 दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के रॉची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(ए०के०पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC - 186 दिनांक 26/02/2019

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल को प्रासंगिक पत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०—यथोक्त।

ह०/—

(ए०के०पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC - 186 दिनांक 26/02/2019

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के०पाण्डेय) 26.02.19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना—800 014; Email-apccfcampa.bih@gmail.com;